## Jharkhand State Pollution Control Board Government of Jharkhand



### DIPP Point No. 245

	Question	Remarks
	spection reform enablers	Green industries are given consent for 15 years based on self certification and are inspected
	empt Green industries with a history of	
	actory compliance from environmental	only once in 15 years. since the time period is
•	liance inspection, or allow self-certification	too long, it is equivalent to exemption.
	u of conducting physical inspections)	
URL:		
<u>http:/</u>	/www.jspcb.org/pdf/1971.pdf	
-	/www.jspcb.org/Notification/Notification%2 %20dated%2001.05.2015.pdf	0letter%20no.%20G-
<u>http:/</u>	/www.jspcb.org/pdf/1971.pdf	
	ज्ञारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद नगर प्रशासन भवन, एषठ ई० सीठ, छुर्बा, राँची दुरसागः (DES1) 2400851, 2400852, वैक्स: 0851-2400850	
अधि०	10-15-06 सेवी. दिनांक- 15/6/15	
মথি	त्राः_} त्रांग, दिनांक!5)6/ 15 अधिसूचना	Self Certification for green industries
য়াইচ	अधिसूचना	for green industries
	<u>अधिसूचना</u> पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या बी–15, दिनांक 10.05.2014 को संशोधित करते हुए, Red	for green industries अन्य Self Certification के अध्यय पर 16 दर्थ के लिए सबमति आदेत (Consent to
Ora	अधिसूचना	for green industries
Ora	<u>अधिसूचना</u> पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या बी–15, दिनांक 10.05.2014 को संशोधित करते हुए, Red nge एपं Green Category के इकाइयों को पर्वद द्वारा 05, 10 एवं 15 वर्षों के लिए सहसति	for green industries अन्य Self Certification के अस्मर पर 16 वर्ष के लिए सहमति आदेत (Consent to Operate) निर्मत किया जाएगा तथा इन इजाईयों का निरीक्षन पर्यंद हारा पूरी लहमति
Ora अदेश	<u>अधिसूचना</u> पूर्व में निर्मत अधिसूचना संख्या बै–15, दिनांक 10.05.2014 को संशोधित करते हुए, Red nge एपं Green Category के इकाइयों को प्लेंद द्वारा 06, 10 एवं 15 वर्षों के लिए सहमति fi (Consent to Operate) निम्नयत निर्मत विज् जाऐंगे :	for green industries 3) Green Category of Industry - समी Green Category की इकाईमें को परद इन्त Self Certification के समार पर 16 वर्ष के लिए स्ट्रमति आदेत (Consent to Operate) निर्मत किया जाएगा तथा इन इकाईयों का निरीक्षण पर्षद हाता पूरी सहमति भी अवधि में सामान्यतया एक बार किया जाएगा ।
Ora	अधिसूचना वूर्व में निर्मत अधिसूचना संख्या बै–15, दिनांक 10.05.2014 को संशोधित करते हुए, Red nge एपं Green Category के इकाइयों को प्लेंद द्वारा 06, 10 एवं 15 वर्षों के लिए सहमति fi (Consent to Operate) निम्लयत निर्मल विज् जाऐंने :- Red Category of Industry : सभी Red Category के इकाईयों को तौथ वर्षों के	for green industries
Ora अदेश	<u>अधिसूचना</u> पूर्व में निर्मत अधिसूचना संख्या बै–15, दिनांक 10.05.2014 को संशोधित करते हुए, Red nge एपं Green Category के इकाइयों को प्लेंद द्वारा 06, 10 एवं 15 वर्षों के लिए सहमति fi (Consent to Operate) निम्नयत निर्मत विज् जाऐंगे :	for green industries
Ora अदेश	अधिसूचना पूर्व में निर्मत अधिसूचना संख्या बी–15, दिनांक 10.05.2014 को संशोधित करते हुए, Red nge एपं Green Category के इकाइयों को पर्षद द्वारा 05, 10 एवं 15 वर्षों के लिए सहमति n (Consent to Operate) निम्नयत निर्मत किए जाएंने :- Red Category of Industry :- सभी Red Category के इकाईयों को पौध वर्षों के लिए सहमति आदेश (Consent to Operate) निर्मत किए जाएंने । इन इकाईयों	for green industries
Ora अदेश १)	अधिसूचना दूर्व में निर्गत अधिमुचना संख्या बी–15, दिनांक 10.05.2014 को संशोधित करते हुए, Red age एपं Green Category के इकाइयों को पर्षद द्वास 05, 10 एवं 15 वर्षों के लिए सहमति 11 (Consent to Operate) निम्लयत निर्मत किए जाएंगे :- Red Category of Industry :- सभी Red Category के इकाईयो को पीथ वर्षों के लिए सहमति आदेश (Consent to Operate) निर्मत किए जाएंगे । इन इकाईयों का निरीक्षण सामान्यतवा 02 वर्षों के अंतराल पर किया जाएगा । Orange Category of Industry :- सभी Orange Category के इकाईयों को दस	for green industries   and the set of the set
Ora अप्टेर १)	अधिसूचना बूर्व में निर्मत अधिसूचना संख्या बै–16, दिनांक 10.05.2014 को संशोधित करते हुए, Red age एपं Green Category के इकाइयों को पर्षद द्वारा 05, 10 एवं 15 कों के लिए सहमति n (Consent to Operate) निम्लयत निर्मत किए जाएंगे :- Red Category of Industry :- सभी Red Category के इकाईयों को पीध वर्षों के लिए सहमति आदेश (Consent to Operate) निर्मत किए जाएंगे । इन इकाईयों का निरीक्षय सामान्यतया 02 वर्षों के अंतराल पर किया जाएगा । Orange Category of Industry :- सभी Orange Category के इकाईयों को दश वर्षों के लिए सहमति आदेश (Consent to Operate) निर्मत किए जाएंगे ।	for green industries   for green category of Industry - ਜth Green Category of a set of the the set of category of a set of the set of the set of category of a set of the set of t
Ora अदेश १)	अधिसूचना इर्व में निर्गत अधिमुचना संख्या बी–15, दिनांक 10.05.2014 को संशोधित करते हुए, Red age एपं Green Category के इकाइयों को पर्षद द्वारा 05, 10 एवं 15 वर्षों के लिए सहमति 1 (Consent to Operate) निम्नदत निर्मत किए जाएंमे : Red Category of Industry : सभी Red Category के इकाइंयों को त्रीध वर्षों के लिए सहमति आदेश (Consent to Operate) निर्मत किए जाएंमे । इन इकाईयों का निरीक्षम सामान्यतया 02 वर्षों के अंतरात पर किया जाएगा । Orange Category of Industry : सभी Orange Category के इकाईयों को दस वर्षों के लिए सहमति आदेश (Consent to Operate) निर्मत किए जाएंमे ।	$\begin{array}{c} & \mbox{for green} \\ & $
Ora अप्टेर १)	अधिसूचना कुर्व में निर्मत अधिसूचना संख्या बै–16, दिनांक 10.05.2014 को संशोधित करते हुए, Red nge एपं Green Category के इकाइयो को पर्षद द्वारा 05, 10 एवं 15 वर्षों के लिए सहमति 11 (Consent to Operate) निम्लयत निर्मत किए जाएंगे :- Red Category of Industry :- सभी Red Category के इकाईयो को तीव वर्षो के लिए सहमति आदेश (Consent to Operate) निर्मत किए जाएंगे । इन इकाईयों का निरीक्षम सामान्यतवा 02 वर्षों के अंतराल पर किया जाएगा । Orange Category of Industry :- सभी Orange Category के इकाईयो को एस वर्षो के लिए सहमति आदेश (Consent to Operate) निर्मत किए जाएंगे । a) Orange Category में Iow risk इकाईयों को सहमति आदेश Self Certification के आयार पर निर्मत किया जाएगा तथा इनका निरीक्षम सानन्यतवा 5 वर्षों के अंतराल पर किया जाएगा ।	for green industries   and the properties of the propere
Ora अप्टेर १)	अधिसूचना इर्व में निर्मता अधिमुचना संख्या बी–15, दिनांक 10.05.2014 को संशोधित करते हुए, Red age एपं Green Category के इकाइयों को प्र्षेद द्वारा 05, 10 एवं 15 वर्षों के लिए सहमति a (Consent to Operate) निम्लरत निर्मत किए जाएंगे : Red Category of Industry : सभी Red Category के इकाईयों को तौथ वर्षों के लिए सहमति आदेश (Consent to Operate) निर्मत किए जाएंगे । इन इकाईयों का निरीक्षम सामान्यतवा 02 वर्षों के अंतराल पर किया जाएगा । Orange Category of Industry : सभी Orange Category के इकाईयों को दश वर्षों के लिए सहमति आदेश (Consent to Operate) निर्मत किए जाएंगे । a) Orange Category में low risk इकाईयों की सहमति आदेश Self Certification के आधार पर निर्मत किया जाएगा तथा इनका निरीक्षम	for green industries1Green Category of Industry - समी Green Category की इकाईसे की पाये इन Self Certification के अक्षार पर 16 कर्ष के लिए सलमति आदेव (Consent to Operate) निर्मत किया जाएग तथा इन इकाईसे को निरोधन पर्वद इता पूरी रकामी ये श्वरी में साम-प्रताया एक वर किया जाएग । निरोधन के अव्यय का तात क उल्लावन घर वाने की कियति में समयि क ते के आवार का ता का उल्लावन घर वाने की कियति में समयि क ते के का सर्वण । मिति कि अव्यय का तात क उल्लावन घर वाने की कियति में समयि क ते के का सर्वण ! मिति - आग चर्चिय लाएग की स्थान किया, इसखण्ड सरकार सेंगी / सिरिय व्योग किया, इसख्य तरिव इसिंग - आग चर्चिय लाए प्रयादन किया, इसखण्ड सरकार सेंगी / सिरिया व्योग किया, इसख्य कालक संय सेंग ! मिति - आग चर्चिय ला एवं पहाल विमाग, इसखण्ड सरकार सेंगी / सिरिया व्योग किया, इसख्य कालक संय सेंग ! अत्य तरिव मिति - व्यान चर्चिय ला एवं पहाल किया, इसखण्ड सरकार सेंगी / सिरिया व्योग किया, इसख्य तवर राविय अत्य तरिव मार कि - वान कि कि साने के स्था प्रयोग किया कारवान् कारव तवर राविय मार कि - वान कि कि साने हो किया कारवान्य सरकार सेंगी / सिरिया व्योग किया, इसख्य कारव तवर राविय मार कि - वान कि कि साने प्र सिंग कारवान्य सरकार सेंगी / सिरिया व्योग किया, इसख्य कारव तवर राविय मार कि - वान कि कि साने प्र सिंग किया कारवान कारव तवर राविय मार कि - वान कि कि साने प्र सिरिय का नार्च कि सिंग कारवान कारव तवर राविय मार कि - वान कि सेंग प्र सिरिय का नार्च कि सिंग कारवान कारव तवर राविय मार के - वान कि सेंग प्र सिरेय कारवर्ग का स्था का कारवान कारव कर मुक नियंग मार के तिय का तारव के सान कर सुंग किसल कर सान कर के का सारवान कारव कर मुक नियंग मार कि - वान कि सेंग प्र सिक्त सर्व कि सर्व का सारवा कर सान कर कर म

## Jharkhand State Pollution Control Board Government of Jharkhand



### http://www.jspcb.org/Notification/Notification%20letter%20no.%20G-1358%20dated%2001.05.2015.pdf

\* w) झारखण्ड राज्यं प्रदूषण नियंत्रण पर्षद झारखण्ड नगर प्रशासन भवन, एच0 ई0 सी0, धर्वा, रॉची दूरभाष : (0651) 2400851, 2400852, फैक्स : 0651-2400850

4710 G 1358

रॉची, दिनांक [•) ]}

#### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हरी श्रेणी की वैसी इकाईयाँ जो माननीय उच्चतम न्यायालय के वाद संख्या–19628–19629 / 09–दीपक कुमार बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य में आदेश दिनांक 27.02.2012 से आच्छादित नहीं है, में पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता झारखण्ड राज्य में नहीं है । हरी श्रेणी के इकाईयों की विस्तृत सूची पर्षद के वेब साईट www.jspcb.org पर उपलब्ध है ।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि झारखण्ड राज्य में किसी भी इकाई के विद्युत संयोजन (connection) हेतु झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् से प्रदूषण नियंत्रण संबंधी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है । बशर्त्ते कि पर्षद् के द्वारा विद्युत विच्छेद आदेश सम्बन्धित इकाई के विरुद्ध पूर्व में नही दिया गया है।

# SUPPORTING DOCUMENT

270,66,74

ž

 $\mathcal{D}$ 



## झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

नगर प्रशासन भवन, एच0 ई0 सी0, ध्रुर्वा, रॉची दूरभाष : (0651) 2400851, 2400852, फेक्स : 0651--2400850

अधि० सं0:-3-06

राँची, दिनांक:- 15)6/15

### <u>अधिसूचना</u>

पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या बी-15, दिनांक 10.05.2014 को संशोधित करते हुए, Red Orange एवं Green Category के इकाइयों को पर्षद् द्वारा 05, 10 एवं 15 वर्षों के लिए सहमति आदेश (Consent to Operate) निम्नवत निर्गत किए जाऐंगे :--

- Red Category of Industry ---- सभी Red Category के इकाईयों को पाँच वर्षों के लिए सहमति आदेश (Consent to Operate) निर्गत किए जाऐंगे । इन इकाईयों का निरीक्षण सामान्यतया 02 वर्षों के अंतराल पर किया जाएगा ।
- Orange Category of Industry :- सभी Orange Category के इकाईयों को दस वर्षों के लिए सहमति आदेश (Consent to Operate) निर्मत किए जाऐंगे ।
  - a) Orange Category में low risk इकाईयों को सहमति आदेश Self Certification के आधार पर निर्गत किया जाएगा तथा इनका निरीक्षण सामान्यतया 5 वर्षो के अंतराल पर किया जाएगा ।
  - b) Orange Category में High risk इकाईयों को सहमति आदेश (Consent to Operate) third party Inspection के आधार पर निर्गत किया जाएगा तथा इनका निरीक्षण सामान्यतया 3 वर्षी के अंतराल पर किया जाएगा ।

Green Category of Industry :- सभी Green Category की इकाईयों को पर्षत् द्वारा Self Certification के आधार पर 15 वर्षों के लिए सहमति आदेश (Consent to Operate) निर्गत किया जाएगा तथा इन इकाईयों का निरीक्षण पर्षद द्वारा पूरी सहमति की अवधि में सामान्यतयां एक बार किया जाएगा ।

निरीक्षण के आधार पर शर्तो के उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में सहमति पत्र की वैधता समाप्त की जा सकेगी ।

ぎ0/-

(शंजय कुमार शुमन) शब्स्य शचिव

राँची, दिनांक ..... ज्ञापांक ..... प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार राँची/ सचिव उद्योग विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची/सचिव खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची/निदेशक उद्योग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

> 〒0/-(शंजय कुमार शुमन)

शढ्स्य शचिव

ज्ञापांक 5-1968 प्रतिलिपि :- सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी/पर्षद् विश्लेषक/ सभी पदाधिकारियों, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण

राँची, दिनांक 15/6

पर्षद् / पर्षद् सूचना पट्ट / पर्षद् website पर upload करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक् कारवाई हेतु प्रेषित (शंजय कू

शबस्य शचिव

Ŷ

3)

# SUPPORTING DOCUMENT





# JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD

T.A. DIVISION BUILDING (GROUND FLOOR), H.E.C., DHURWA, RANCHI-834004 Phone.:2400852, 2400851, Fax:0651-2400850

Notification No. B-04

Ranchi, Date: 31 ] 3 / 16

### NOTIFICATION

In pursuance of the letter no. B-29012/ESS(CPA)/2015-16/8574, dated March 07, 2016 of the Central Pollution Control Board regarding harmonization of classification of industrial sectors under Red/Orange/Green and White categories, the Jharkhand State Pollution Control Board hereby adopts the said classification. The details of the classification of industries are attached herewith.

This order is issued in supersession of Notification No. B-01 dated 01.01.2013 of the Jharkhand State Pollution Control Board and will come into force with effect from 1st April, 2016.

> Sd/-(Sanjay Kumar Suman) Member Secretary

Memo No. 5-2436 Ranchi, Dated. 31 ] 3 ] 16 Copy to : Chairman/Member Secretary, Central Pollution Control Board, Delhi for information and necessary action.

> Sd/-(Sanjay Kumar Suman) Member Secretary

Memo No. B- 2436

Memo No

B-2436

-Ranchi, Dated. 31/3/16

Copy to : Additional Chief Secretary, Department of Industries, Mines & Geology, Govt. of Jharkhand/ Principal Secretary, Forest, Environment and Climate Change, Govt. of Jharkhand/Principal Chief Conservator of Forest, Jharkhand for information and necessary action.

Sd/-

(Sanjay Kumar Suman)

Member Secretary Ranchi, Dated. 31 3

Copy to : Director, industries, Govt. of Jharkhand/Director, Mines, Govt. of Jharkhand/Member Secretary, SIEAA, Jharkhand for information and necessary action.

> Sd/-(Sanjay Kumar Suman) Member Secretary

B-2436

Ranchi, Dated. 31/3/16 Copy to : Section Head, Head Office/All R.O's/Board Analyst for information and necessary action

> (Sanjay Kumar Suman) Member Secretary